भारत में चुनाव सुधार

डॉ० विनीता गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विभाग
कनोहर लाल पी०जी० गर्ल्स कॉलेज, मेरठ
ईमेलः vinitagupta122002@gmail.com

सारांश

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है और प्रजातन्त्र शासन प्रणाली में यह माना जाता है कि शासन की बागड़ोर जनता के हाथों में होती है। इसका मुख्य तरीका है– चुनाव प्रक्रिया। ''भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, परन्तु मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में निरन्तर परिर्वतन होते रहते है इसलिये संविधान में भी बहुत से संशोधन किये गये इसी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया में अनेक सुधारों की आवश्यकता हुई इसी विशय को प्रस्तुत शोध पत्र में व्यक्त किया गया है।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ० विनीता गुप्ता

भारत में चुनाव सुधार

शोध मंथन, जून 2018,
पेज सं0 172–179

Article No. 27
http://anubooks.com?page_id=581

प्रस्तावना

भारत विश्व में एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली को सफल बनाने का आधार स्तम्भ है चुनाव प्रणाली। प्रजातन्त्र में स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष शासन प्रणाली स्थापित करने के लिये चुनाव प्रणाली में भी सुधारों की आवश्यकता होती है। भारत में कुछ मुख्य मुद्दे चुनाव की राजनीति को प्रभावित करते हैः–

- घन शाक्ति एवं बल प्रयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है।
- राजनीति का अपराधीकरण हो गया है राजनीतिक दल भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुनावों में टिकट देते है अथवा उनका प्रयोग करते है।
- सरकारी तन्त्र का चुनावों की राजनीति में दुशप्रयोग जैसे, सरकारी वाहनों का प्रयोग, सरकारी कोशो का चुनावी राजनीति के लिये अनुचित प्रयोग एवं वितरण
- जातिवाद के आधार पर चुनावी राजनीति
- चुनावी राजनीति मे नैतिक मूल्यों का पतन
- साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनावों राजनीति करना

भारतीय समाज में प्रारम्भ से आज तक ये सभी मुद्दे चुनावों को प्रभावित करते है इन सभी विषयो से संबधित समस्याओं को सुलझाने के लिये भारतीय जनता को शिक्षित होना और अपनी मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है।

भारतीय संविधान में भी कुछ अनुच्छेद चुनाव सुधार से संबधित है

- अनुच्छेद 324–329 चुनाव प्रणाली एवं चुनाव सुधार से संबधित है।
- अनुच्छेद 324 का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव होगें।
- अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अर्थात भारतीय नागरिक को धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर चुनाव में सम्मिलित होने से नही रोका जा सकता
- अनुच्छेद 326 व्यस्क मताधिकार के आधार पर लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव में सम्मिलित करने से है।
- अनुच्छेद 327 संसद को व्यवस्थापिका से संबधित चुनावों में नियम बनाने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 328 राज्य की व्यवस्थापिका को उस राज्य में होने वाले चुनावों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 329 न्यायलय को चुनाव संबंध प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है।

चुनाव सुधार के सम्बन्ध भारत में विभिन्न समितियाँ बनायी गयी

1. संयुक्त संसदीय समिति 1971–72
2. तारकुंडे समति का गठन 1974 में हुआ परन्तु रिपोर्ट 1975 में आयी
3. दिनेश गोस्वामी समिति 1990
4. वोहरा समिति 1993

5. निर्वाचन आयोग की सिफारिशे चुनाव सुधार के संबंध में 1998
6. इन्द्रजीत गुप्ता समिति 1998
7. चुनाव कानून में सुधार पर भारत की विधि आयोग की 170 वी रिर्पोट 1999
8. संविधान कामकाज समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग 2002
9. प्रस्तावित चुनाव सुधार पर भारत के चुनाव आयोग रिपोर्ट 2004
10. भारत के दूसरे प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट 2007
11. चुनाव सुधारों के लिये गठित तनखाकोर समिति 2010
12. जे0एस0 वर्मा समिति की रिर्पोट 2013
13. भारतीय विधि आयोग की निर्वाचन निरर्हताए पर 244 रिपोर्ट 2014
14. चुनाव सुधार 2015 पर भारत के 255 वे विधि आयोग की रिपोर्ट

उपरोक्त आयोग एवं समितियों की अनुशंसाओ पर चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गये जो निम्न हैः–

1. 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्श की गयी।

2. 1988 में प्रावधान किया गया कि चुनाव के लिये मतदाता सूची बनाने पुनरीक्षण करने एवं संशोधन करने वाले पदाधिकारियों को यह काम करते हुये चुनाव आयेाग में प्रतिनियुक्त माना जायेगा।

3. 1988 में राज्यसभा एवं राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव में नामांकन पत्र पर प्रस्तावको की संख्या का कुल निर्वाचको का 10% या ऐसे 10 निर्वाचक जो कम हो कर दिया गया।

4. 1989 में चुनावों में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) के प्रयोग की व्यवस्था की गयी।

5. 1989 में बूथ कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करने का प्रावधान किया गया। जिसमें बूथ कब्जा निम्न आधार पर–

(क) मतदान केन्द्र पर कब्जा कर लेना और केवल अधिकारियों से मतपत्र या EVM छीन लेना।

(ख) मतदान केन्द्र पर कब्जा कर लेना और केवल अपने समर्थकों से वोट डलवाना

(ग) मतदाता को मत केन्द्र पर जाने से रोकना

(घ) मतगणना केन्द्र पर कब्जा करना

6. 1993 में चुनाव को निश्पक्ष बनाने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी करने का निर्णय लिया गया।

7. 1990 में वी0पी0 सिंह वाली राष्ट्रीय सरकार ने दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया जिसमें चुनाव सुधार के सम्बन्ध में सुझाव दिये जिसमे से कुछ 1996 में लागू किये गये जो निम्न हैः

(क) उम्मीदवारो के नामो को चुनाव लड़ने के लिये 3 वर्गो में बॉटा गया

(1) मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार

(2) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार

(3) निर्दलीय उम्मीदवार

(ख) राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971 द्वारा निम्न अपराधों में सजा प्राप्त व्यक्ति 6 साल तक लोक सभा या विधानसभा का चुनाव लडने को अयोग्य होगा

(1) राष्ट्रीय झंड़े का अनादर का अपराध

(2) भारतीय संविधान का अनादर करने का अपराध

(3) राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध

(ग) मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले तक मतदान केन्द्र के इलाके में शराब या नशीला पदार्थ नहीं बेचा जा सकता उल्लघन करने वाले को 6 माह की कैद या 2000 रूपये जुर्माना या दोनो हो सकते है।

(घ) लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नामांकन पत्र पर यदि किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार नही है तो 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिये और राजनीतिक दल के उम्मीदवार के नांमाकन पर एक पंजीकृत मतदाता के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

(ड) मतदान के पूर्व चुनाव लड रहे किसी उम्मीदवार का निधन हो जाने पर चुनाव रद्द नही होगा हालांकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का निधन होने पर वह दल 7 दिनों के अन्दर दूसरा उम्मीदवार विकल्प के तौर पर दे सकता है।

(च) संसद या राज्य विधानमंडल की कोई सीट खाली होने पर 6 महीने के अन्दर उपचुनाव कराना होगा। केवल दो स्थितियों में ऐसा नहीं होगा–

(1) जिस सदस्य की सीट भरी जारी है उसका कार्यकाल यदि 1 साल से कम का बचा हो।

(2) यदि चुनाव आयोग केन्द्र सरकार से सलाह कर यह सिद्ध कर दे तो कि इस अवधि में चुनाव कराना कठिन है।

(छ) किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाता को वैतनिक अवकाश मिलेगा, यह नियम दैनिक वेतनभोगी पर भी लागू होगा उल्लघंन करने वाले पर 500/– तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

(झ) एक साथ हो रहे आम चुनाव या उपचुनाव में कोई उम्मीदवार लोक सभा या विधानसभा दोनो में दो से अधिक सीटो पर चुनाव नही लड़ सकता।

(ञ) नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच का न्यूनतम अन्तराल 20 दिन से घटाकार 14 दिन कर दिया गया।

(ट) किसी मतदान केन्द्र के पास किसी तरह के विचार के हथियार के साथ जाना अपराध है इसमे 2 साल की कैद एवं जुर्माना दोनो हो सकते है लेकिन यह व्यवस्था निर्वाचन

अधिकारी/मतदान अधिकारी /पुलिस अधिकारी या मतदान केन्द्र पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियुक्त व्यक्ति पर लागू नही होगी

8. 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिये प्रस्तावक निर्वाचकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 की गयी एवं उपराष्ट्रपति पद के लिये 5 से बढाकर 20 की गयी। दोनो चुनावों में जमानत की राशि में भी वद्धि की गयी राष्ट्रपति के चुनाव में 10000 रूपये से बढ़ाकर 15000 रूपये, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2500/– रूपये से बढ़ाकर 5,000/– की गयी।

9. 1998 से यह व्यवस्था की गयी स्थानीय शासन विश्वविद्यालयो, राष्ट्रीयकृत बैक, जीवन बीमा निगम, लोक उपक्रम एवं सरकारी सहायता प्राप्त दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनाव किया जा सकता है।

10. 1999 में कुछ खास तरह के मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिये वोट देने की व्यवस्था की गयी। चुनाव आयोग सरकार से सलाह कर किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को इसके लिये अधिसूचित कर सकता है।

11. 2003 में सशक्त सेना में कार्यरत वोटर को जहाँ सेना अधिनियम लागू होता है उनको प्राक्सी द्वारा वोट देने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है परन्तु ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र पर अपना प्राक्सी नियुक्त कर सूचना अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को देनी होगी।

12. 2003 में चुनाव आयोग ने संसद या राज्य विधानंमडल का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने नांमाकन पत्र के साथ निम्न जानकारियॉ उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया

(क) क्या उम्मीदवार को किसी अपराधिक मामले में सजा मिली है या निर्दोश करार दिया गया या रिहा किया गया या जुर्मांना हुआ।

(ख) नामांकन पत्र दाखिल करने के 6 महीने पहले क्या उम्मीदवार किसी लंबित मामले का अभियुक्त है जिसमें 2 साल या अधिक अवधि की सजा हो सकती है।

(ग) उम्मीदवार उसके पति/पत्नी और आश्रितों की चल, अचल संमत्ति का विवरण

(घ) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता

शपथ–पत्र में गलत सूचना देने पर छः महीने की सजा या जुर्माना या दोनो हो सकता है।

13. राज्यसभा चुनाव में 2003 में सुधार किया गया है जिसमें राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिये आवासीय अर्हता हटा दी गयी है और राज्य सभा में गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान शुरू किया गया है।

14. 2003 के प्रावधान के अनुसार राजनीतिक दल का प्रचार करने वाले नेताओं का यात्रा व्यय उम्मीदवार के खर्च में शामिल नही होगा।

15. 2003 के प्रावधान के अनुसार सरकार लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को मतदाता सूची की प्रति तथा आवश्यक सामग्री निशुल्क उपलब्ध करायेगी।

16. 2003 में राजनीतिक दल को किसी व्यक्ति या सरकारी कम्पनी को छोड़कर बाकी किसी कम्पनी से कोई भी राशि स्वीकार करने की स्वतन्त्रता थी। अब आयकर में राहत का दावा करने के लिये उन्हे 20000/– रूपये से अधिक के हर चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी और इस रकम पर कम्पनी को भी छूट मिलेगी।

17. 2003 के प्रावधान के अनुसार टेलीविजन इलैक्ट्रानिक मीडिया पर सभी राजनीतिक दलों को प्रचार करने के लिये चुनाव आयोग समान रूप से समय आवंहित करे।

18. चुनाव आयोग ने दृष्टिहीन मतदाताओं को बिना सहायक के मतदान सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ई0वी0एम0 में ब्रेल लिपि का फीचर डाला गया।

19. 2009 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव के दौरान एक्जिट पोल (exit poll) कराने और उसके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगायी गयी है। उल्लघंन करने वाले को 2 साल की कैद या जुर्माना होगा।

20. 2009 में भ्रष्ट तरीका अपनाने वाले व्यक्ति को अयोग्य करार देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और 3 माह के भीतर राष्ट्रपति के पास पेश करने का समय दिया गया।

21. 2009 के अर्न्तगत सभी आधिकारियों चाहे वे सरकारी सेवा में हो या चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालित कराने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये हो, को किसी उम्मीदवार की जीत की संभावनाये बढ़ाने के लिये मदद देने पर भ्रष्ट तरीके अपनाने के घेरे में ले सकते है।

22. 2009 के सुधार क्रम मे जमानत की राशि में बढ़ोतरी की गयी है लोकसभा चुनाव में सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिये जमानत राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 2500/– से बढ़ाकर 5 हजार कर दी गयी है। विद्यानसभा चुनाव में सामान्य जाति के उम्मीदवार की जमानत राशि 5000 रूपये से बढ़ाकर 10000 रूपये अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन जाति के लिये 2500 से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दी गयी है।

23. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2009 के अनुसार ही मान्यता निंबधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ सुनवाई के लिये जिला दण्डाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंण्डाधिकारी या कार्यपालक दंण्डाधिकारी या जिला समाहर्ता या समान स्तर के किसी अन्य अधिकारी के पास अपील की जायेगी। इनके खिलाफ यदि अपील है तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपील होगी।

24. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2010 के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयो को वोट करने का अधिकार प्रदान किया गया है इसके अनुसार भारत का हर नागरिक

(1) जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नही है,

(2) जिसने किसी देश की नागरिकता ग्रहण नही की है।

(3) जौ नौकरी शिक्षा या किसी अन्य कारण से भारत के अपने निवास की बजाय विदेश मे रह रहा है।

अपना नाम अपने संसदीय विधानसंभा क्षेत्र, जो उसके पासपोर्ट में अंकित है, की मतदाता सूची में अंकित करा सकता है

25. वर्ष 2013 में मतदाता सूची में आनलाईन में नामांकन का प्रावधान किया गया है यह मतदाता पंजीकरण संशोधन नियम 2013 द्वारा किया गया।

26. इलैक्ट्रोरल स्टैटिस्टिक्स 2013 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने उर्पयुक्त मे से कोई नही (NOTA) के लिये मतदाता पत्रो/EVM मशीन में प्रावधान किया गया।

27. वर्ष 2013 में ही मतदाता अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अनुसार मतदाता निरीक्षण पेयर आडिट ट्रायल (VVPAT) (Voter Verifiable Paper Audit Trial) द्वारा मतदाता को यह अनुमति दी जाती है कि वह सत्यापित कर सकता है कि उसका वोट उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला था।

28. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नये प्रावधान जोड़े गये हैः–

(अ) जेल या पुलिस हिरासत में रहने के कारण कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची मे है निर्वाचक होने से नही रोका जायेगा।

(ब) एक संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य तभी अयोग्य माना जायेगा जब वह इसमें अयोग्य हो सिद्ध दोशी संसद एवं विधायक को बिना 3 माह का नोटिस दिये तत्काल अयोग्य माना जायेगा।

29. कंडेक्ट आफ इलेक्शन रूल्स संशोधित 2014 के अनुसार केन्द्र सरकार ने बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिये खर्च सीमा बढ़ाकर 70 लाख रूपये, अन्य राज्यो एवं संघशासित प्रदेशों में 5 लाख रूपये कर दी है इसी प्रकार बड़े राज्यों में विधानसभा सीट के लिये चुनावी खर्च 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रूपये और अन्य राज्य तथा संघ शासित राज्यों में 20 लाख रूपये की गयी।

30. चुनाव आयोग के आदेश पर मई 2015 से मतपत्रो एवं ई0वी0एम0 पर उम्मीदवार का फोटो, नाम एवं चुनाव चिन्ह अंकित रहेगा जिससे मतदाता को भ्रम न हो।

31. 2017 के बजट में किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को गुप्त रूप से दान 20000 रूपये से कम करके 2000 रूपये कर दी गयी।

32. बजट 2017 के अनुसार कारपोरेट अंशदान पर से कैप हट गया है।

33. 2018 के केन्द्र सरकार ने चुनावी बांड योजना की अधिसूचना जारी कर दी है।

34. बजट 2018 में राजनीतिक दलों को विदशी स्त्रोतों से चंदा/अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है।

निष्कर्ष

उपरोक्त सभी चुनावी सुधारों के अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव प्रणाली की कमियों को देखते हुये परिवर्तन आया परन्तु फिर भी चुनाव प्रक्रिया में अपराधीकरण पर रोक लगाने की आवश्यकता है। चुनाव प्रक्रिया में कुछ और जरूरी परिवर्तनों की जरूरत हैः–

1. कुछ नागरिक जब दो सीट से चुनाव लड़ते है और यदि दोनो सीट पर जीतने के कारण एक सीट छोडते है ऐसे में पुनः चुनाव कराने पर खर्चा सरकार वहन करे यह अनुचित है या तो प्रत्येक उम्मीदवार को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति हो या दण्ड स्वरूप उम्मीदवार उस खर्च का वहन कुछ प्रतिशत में करे।

2. उम्मीदवार के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिये।

3. राजनीतिक प्रक्रिया में भी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

4. सांसद/विधायक को एक बार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पेंशन की सुविधा भारत में दी जाती है जबकि सामान्य रूप से सरकारी नौकरी में ही एक लम्बा जीवन व्यतीत होने पर पेंशन सुविधा दी जाती है जब वह व्यक्ति भारतीय नागरिक का प्रतिनिधि है तो उसको सुविधा भी उसी के अनुरूप दी जानी चाहिये।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में प्रजातन्त्र तभी सही रूप में सफल हो सकेगा जब निर्वाचन आयोग इन सभी बातो का भी समाधान निकाले। तभी जनता को एक सच्चा प्रजातन्त्र शासन उपलब्ध हो सकेगा।

सन्दर्भ

1. पुखराज जैनः 'भारतीय शासन एंव राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा 1999
2. मनोज अग्रवालः 'चुनाव सुधार–सुशासन की ओर एक कदम, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
3. एम0 लक्ष्मीकांतः 'भारत की राजव्यवस्था, मैकग्राहिल एजयूकेशन प्राइवेट लिमिटिड चेन्नई 2017
4. जे0 पी0 सिंहः 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, 21वी संदी में भारत, पी0एच0आई0 लर्लिग पा0 लि0, दिल्ली 2016
5. Anjoo Sharan Upadhyay**%** “Electoral reforms in India, concept Publishing company, Delhi
6. Venkatesh Kumar**%** “Electoral reforms in India, Rawat Publication, New Delhi 2009

Website

http://www.jagranfarsh.com /general: knowledge
electoral reforms in India
http://www.en.m.wrkpedia.org wiki/electoral